कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक :– 122 /दो–11–1/14 मण्डला, दिनांक :– 22/04/2026

कार्यालय आदेश क्रमांक 152/दो–11–1/2014 मण्डला, दिनांक 18.05.2023 द्वारा श्री कुलदीप झारिया को आदेशिका वाहक के पद से सहायक ग्रेड–3 के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के शर्त के साथ पदोन्नति प्रदान की गई थी। श्री झारिया द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किये जाने का लेख कर 01 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत किया गया था।

उक्त विवरण अनुसार इस न्यायिक जिला स्थापना में गठित पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 22.04.2026 में श्री कुलदीप झारिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं मध्यप्रदेश, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक सी–3–18/1/3/2010 भोपाल, दिनांक 31.08.2010 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में विचार कर उन्हें सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु आगामी 01 वर्ष का समय (दिनांक 22.05.2025 से 21.05.2026 तक) प्रदान करते हुये परीवीक्षा अवधि को 01 वर्ष के लिये (दिनांक 22.05.2025 से 21.05.2026 तक) बढ़ाये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार श्री कुलदीप झारिया, सहायक ग्रेड–3 को सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु आगामी 01 वर्ष का समय (दिनांक 22.05.2025 से 21.05.2026 तक) प्रदान करते हुये परीवीक्षा अवधि को 01 वर्ष के लिये (दिनाक 22.05.2025 से 21.05.2026 तक) बढ़ाया जाता है।

22-04-2026

(कमल जोशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मण्डला (म.प्र.)

पृ. क्रमांक :– 412/दो–11–1/14 मण्डला, दिनांक :– 22/04/2026

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. जिला कोषालय अधिकारी मण्डला।
3. ऑफिस मोहर्रिर मण्डला संबंधित शासकीय सेवक के सेवा अभिलेख में आदेश की प्रति संलग्न एवं प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।
4. श्री कुलदीप झारिया, सहायक ग्रेड–3 मण्डला की ओर सूचनार्थ।

22/4/26

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मण्डला (म.प्र.)

C/C